2024
54

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां जिला शाहपुरा

(भीलवाड़ा — राजकेश मीना, आर ए एस)

प्रकरण संख्या 54 /2024 राजस्व प्रार्थनापत्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::— आम ग्रामवासियान— आमली बारेठ
पेशकार सरकार

—:: निर्णय ::—

दिनांक 12.03.2024

तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त प्रस्तावनुसार ग्राम आमली बारेठ पटवार हल्का बालापुरा तहसील फुलियाकलां स्थित साबिक आराजी संख्या 932 रकबा 0.03 बीघा किस्म प । आराजी संख्या 1151 रकबा 1.16 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता, आराजी संख्या 908 रकबा 5.06 बीघा के भूप्रबन्ध कार्यवाही में नवीन निर्मित खसरा संख्या 2010 रकबा 1.98 हैक्टयर भूमि किस्म गै.मु रास्ता दर्ज कर दिया गया। जबकि पैमाईश कार्यवाही से पूर्व के खसरा संख्या 932 की किस्म प । दर्ज रेकार्ड थी। जिसका रकबा 0.03 बिस्वा परिवर्तित होने के पश्चात वर्तमान में 0.03 हैक्टयर बनना चाहिए था। लेकिन सेटलमेन्ट कार्यवाही में इस खसरे को नवीन निर्मित खसरा संख्या 2010 रकबा 1.98 हैक्टयर भूमि किस्म गै.मु. रास्ता में सम्मिलित/समाहित कर दिया गया। यह त्रूटीयुक्त तरमीम आदिनांक तक अनवरत जारी है जिसे संशोधन किया जाना प्रस्तावित हुआ है।

तहसीलदार फूलियाकलां द्वारा प्रस्ताव की ताईद/समर्थन में प्रस्तावित नक्शा ट्रेस हमराह प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव एवं समर्थन में प्रस्तुत कराये गये राजस्व अभिलेखों का बारीकी से अध्ययन एंव विश्लेषण किया। न्यायालय यह मानता है कि सेटलमेन्ट कार्यवाही में अभिलेखों के ईन्द्राज में निश्चित रूप चूक हुई थी। किन्तु साबिक व वर्तमान राजस्व रेकार्ड/राजस्व नक्शा के तुल्नात्मक अध्ययन/परिक्षण एवं मौका निरीक्षण से न्यायालय के संज्ञान में आया है कि समाहित हुआ रकबा 0.03 मौके पर 0.01 हैक्टयर ही पाया गया है, यदि प्रस्तावनुसार 0.03 हैक्ट. रकबे को रास्ते से पृथक किया जाता है तो खसरा संख्या 2010 किस्म गै.मु. रास्ता की आकृति/बनावट परिर्वतित हो जावेगी, जो कि न्याय संगत नही होगा। परन्तु यदि 0.01 हैक्ट. भूमि ही रास्ते पृथक की जाती है तो गै.मु.रास्ता किसी प्रकार से प्रभावित नही होगा।

न्यायालय इस तर्क से सहमत कि साबिक आराजी संख्या 932 को सेटलमेन्ट कार्यवाही में नवीन निर्मित खसरा संख्या 2010 किस्म गै.मु. रास्ता में सम्मिलित/समाहित कर दिया गया। लेकिन मौके पर रकबा 0.03 के स्थान पर 0.01 हैक्टयर ही होना पाया गया है। इसे अभिलेखों में दुरूस्त किया जाना आवश्यक होने के साथ न्यायोचित है।

—:: आदेश::—

प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट को स्वीकार करते हुए न्यायालय तहसीलदार फूलियाकलां को यह आज्ञा देता है कि वाके ग्राम आमली बारेठ पटवार हल्का बालापुरा तहसील फुलियाकलां स्थित ——————

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां जिला—शाहपुरा